

Speed post /तीव्र डाक

भारतसरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खानब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रक कार्यालय
माखपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhapura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

Mine Code: 34RAJ01001

संख्या : RAJ/Rajsamand//Pb-Zn-01/Vol-IV

दिनांक ~~09.10.2021~~
09/11/2021

प्रेषित : Mine Agent,
Rajpura-Dariba Pb-Zn Mine,
M/s Hindustan Zinc Limited,
Village: Dariba, Taluka: Railmagra,
District: Rajsamand (Rajastaha),
PIN: 313211.
(e-mail: pushpendra.dhaibhai@vedanta.co.in)

विषय: Violation of provision of Mineral Conservation and development rule 2017 in respect of your Rajpura-Dariba Lead-Zinc Mine in Rajsamand district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 14/10/2021 by undersign in presence of Sri Abhimanyu Singh Ogra, Mine Manager and Sri Sandeep Rajput, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Modification in Review of Mining Plan approved on 27/07/2021 to the extent given below: (1) Water logging & sludge was observed in haulage drive & cross cuts of EU3 block 180 mRL, M5 block -182 mRL and -207 mRL, NL2 block 285 mRL during the stoping inspection. (2) Ventilation was observed poor in EU3 block 180 mRL, M5 block -182 mRL and -207 mRL, NL2 block 285 mRL during the stoping inspection

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समिति की सिफारिश।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय
ज्क 
09/11/2021

(दिलीप जैन)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, Ajmer (Raj.).
- 4 रक्षित पत्रावली।

o/c 

(दिलीप जैन)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो